न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2020/00082 **दायरा दिनांक : 09.09.2020**

उनवान

1– कमलाबाई आयु 58 वर्ष पत्नि श्री छोटूलाल जाति मीणा
2– भवानीशंकर आयु 48 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल जाति लुहार
3– गिरिराज आयु 45 वर्ष पुत्र श्री छीतरलाल जाति लुहार निवासीगण जीरोद तहसील अटरू जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1– भीमराज आयु 53 वर्ष पुत्र श्री जयकिशन जाति मीणा
2– रूपनारायण आयु 35 वर्ष पुत्र श्री छोटूलाल जाति धाकड
3 मांगीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र श्री रामेश्वर जाति मीणा
4– हंसराज आयु 55 वर्ष पुत्र श्री रामगोपाल जाति मीणा
5– कविता बाई आयु 43 वर्ष पत्नि स्वर्गीय श्री राजेन्द्र कुमार जाति धाकड
6– कैलाशीबाई आयु 62 वर्ष पत्नि स्वर्गीय श्री प्रहलाद जाति मीणा
7– गोरधन आयु 64 वर्ष पुत्र श्री रामनारायण जाति मीणा
8– घनश्याम आयु 61 वर्ष पुत्र श्री रामनारायण जाति मीणा निवासीगण जीरोद तहसील अटरू जिला बारा राज०

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र मोहन वर्मा अभिभाषक रेस्पाडेंट 01 लगायत 08 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 28.12.2023**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां के प्रकरण संख्या – 133/2017 निर्णय दिनांक 19.02.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश कर कथन किया कि ग्राम एवं माल जीरोद पटवार क्षेत्र जीरोद तहसील अटरू जिला बारां में प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी खाता संख्या 217 का कुल किता 8 का रकबा 3.83 है0, खाता संख्या 196 का खसरा नम्बर 381 का रकबा 4.73 है0, खाता संख्या 149 का खसरा नम्बर 382 का रकबा 2.10 है0, खाता सख्या 134 का खसरा नम्बर 384 का रकबा 1.92 है०, खाता संख्या 50 का खसरा नम्बर 368 रकबा 3.79 है०, खाता संख्या 33 के 2 किता का रकबा 1.42 है0 आराजी प्रार्थीगण के दर्ज खाता चली आ रही है। प्रार्थना पत्र के साथ में नकल नवीन जमाबन्दी प्रार्थीगण नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा संलग्न है। प्रार्थीगण के स्वामित्व की आराजी पर आने जाने का स्थायी रास्ता खसरा नम्बर 393 394 395 396 के मध्य की मेड पर होकर है जो पूर्व से ही 10 फुट की चौडाई में है जिस पर प्रार्थीगण के पूर्वज निकलते चले आ रहे थे। इस रास्ते को प्रार्थीगण अपने अपने खेतों पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने के उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे हैं, लेकिन इस वर्ष दिनांक 10.05.2017 को अप्रार्थिया कम 1 ने योजनाबद्ध तरीके से रास्ते में पत्थर का कोट खींचकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया तथा अप्रार्थी कम 2 व 3 ने रोड के सहारे तार की बाड़ कर दी तथा पत्थर डालकर रास्ता बन्द कर दिया जिससे रास्ता नष्ट हो गया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय दिनांक 19.02.2020 के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ग्राम जीरोद की खाता संख्या 217 कुल किता 8 रकबा 3.83 है0, खाता संख्या 196 खसरा नम्बर 381 रकबा 4.73 है0, खाता संख्या 149 खसरा नम्बर 382 रकबा 2.10 है0, खाता संख्या 134 खसरा नम्बर 384 रकबा 1.92 है0, खाता संख्या 50

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

खसरा नम्बर 368 रकबा 3.79 है0, खाता संख्या 33 किता 2 रकबा 1.42 है0 में आने जाने हेतु ग्राम जीरोद के खसरा नम्बर 392 रकबा 2.44 है0 पर पहुंचने हेतु नजरी नक्शा पेश किया जिसमें 4 मीटर रास्ते हेतु खसरा नम्बर 395 में से 20 लीटर लम्बा 2 मीटर चौडा क्षेत्रफल 40 मीटर खसरा नम्बर 393 में से 88 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा 175 मीटर तथा खसरा नम्बर 396 में से 108 मीटर लम्बा व 2 मीटर चौडा 216 मीटर कुल 432 वर्ग मीटर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये। तहसीलदार अटरू नियमानुसार डी.एल.सी. का दुगना जमा करा कर नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज करें। जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण/अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थीगण/रेस्पो० द्वारा धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट के तहत आवेदन पेश किया था जिसमे दिनांक 19.02.2020 को स्वीकार करते हुये आदेश दिया है कि विवादित आराजी ग्राम जीरोद, तहसील अटरू की खाता सं० 217 कुल किता 8 रकबा 3.83 हैक्टर खाता सं0 196 खसरा नं. 381 रकबा 4.74 हैक्टर व खाता 149 की खसरा नं. 382 रकबा 2.10 हैक्टर खाता सं० 134 खसरा नं. 384 रकबा 1.92 हेक्टर खाता स० 50 खसरा नं० 368 रकबा 3.79 हेक्टर खाता सं० 33 किता 2 रकबा 1.42 हेक्टर में आने जाने हेतु ग्राम जीरोद के खसरा नं. 392 रकबा 2.55 हैक्टर पर पहुंचने हेतु नजरी नक्शा पेश किया जिसमें 4 मीटर रास्ते हेतु खसरा नं. 395 में से 20 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा क्षेत्रफल 40 मीटर खसरा नं. 395 में से 88 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा 175 मीटर तथा खसरा नं. 396 में से 108 मीटर लम्बा 2 मीटर चौडा कुल 216 मीटर कुल 432 मीटर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। जिसकी अप्रसन्नता से यह अपील माननीय न्यायालय में पेश की जा रही है।

4 अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनाक 29.06.2018 खिलाफ कानून होने में काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी मूल की है। अपीलान्ट/अप्रार्थी कम 2 व 3 के खसरा नं. 393 की मेड के पास रोड से 100 फीट दूर ट्यूबवेल लगा हुआ है। अपीलान्ट कम 1 रोड से लगभग 60–70 फीट दूर नहर की पाइप लाइन का वाल लगा हुआ है। जो हल्का पटवारी द्वारा मानचित्र में दर्शाया नहीं गया है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल खारजा है। उक्त प्रकरण में राजस्थान सरकार भू स्वामी होने के बावजूद भी अपीलान्ट द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिल खारजा है। अधीनस्थ न्यायालय अपीलान्ट/अप्रार्थीगण को बिना सुने एक तरफा निर्णय पारित किया गया है जो काबिल खारजा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में काफी विरोधाभाष है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया है। रेस्पो०/अप्रार्थीगण द्वारा अपने आवेदन में 10 फीट रास्ता देने की प्रार्थना की है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 13 फीट (2–2 मीटर) चौडा रास्ता अपने आदेश दिया गया है जो गलत होने से काबिज खारजा है। रेस्पो० का रास्ता रेस्पो० कम 1 की आराजी में होकर परम्परागत रास्ता है। अपीलान्टगण की आराजी में होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय कोई गोर नहीं कर उक्त पारित करने में भारी भूल की है। उक्त निर्णय/आदेश की अनुपालना में यदि जबरन रास्ता कायम गया तो अप्रार्थीगण/अपीलान्ट की ट्यूबवेल नष्ट हो जावेगी और अपीलान्ट की भूमि को सिंचित करने का साधन समाप्त हो जावेगा एक कृषि योग्य भूमि नहीं रहेगी जिससे अपीलान्ट को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी एवं अपार क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं हो सकेगी।

5 अतः अपील पेश कर निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय/आदेश दिनाक 19/02/2020 न्यायालय उपजिला कलेक्टर अटरू प्रकरण सं० 133/2017 बउनवान मुकदमा भीमराज वगैराह बनाम कमलाबाई वगैराह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) आर० टी० एक्ट निरस्त फरमाया जाये तथा रेस्पो० प्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि अपीलार्थीगण की आराजी में होकर कोई रास्ता कायम नहीं करे। ऐसा न तो स्वयं करे, ना ही अपने प्रतिनिधियों/कर्मचारियों से ऐसा करावें ।

6 अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 25.07.2020 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

7 अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8 हमने बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए. आई. आर.1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्ति कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

9 बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया गया। अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस के दौरान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही होने के कारण निर्णय यथावत रखने का निवेदन किया।

10 विद्वान अभिभाषक अपीलांटने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अध्कीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही करते हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। इस क्रम में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू द्वारा प्रतिवादी 1 लगायत 3 को प्रथम बार दिनांक 22.09.2017 को समन जारी करते हुए दिनांक 09.10.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया जिस पर तामील कुलिन्दा द्वारा निम्न रिपोर्ट का अंकन है।

प्रतिवादी कम 1 कमलाबाई – लेने से मना किया।
2 भवानीशंकर– लेने से मना किया।
3 गिरिराज – लेने से मना किया।

11 दूसरी बार दिनांक 30.10.2017 को सम्मन जारी करते हुए दिनांक 15.11.2017 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। जिस पर तामील कुलिन्दा द्वारा निम्न रिपोर्ट का अंकन है।

प्रतिवादी कम 1 कमलाबाई – लेने से मना किया।
2 भवानीशंकर– भवानीशंकर जीरोद में नहीं रहता है वह ग्राम डोबडी, तहसील सांगोद जिला कोटा में रहता है।
3 गिरिराज – लेने से मना किया। नोटिसों पर नोट अंकित है।

12 तीसरी बार दिनांक 16.11.2017 को सम्मन जारी करते हुए अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 06.12.2017 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। जिस पर तामील कुलिन्दा द्वारा निम्न रिपोर्ट का अंकन है।

प्रतिवादी कम 1 कमलाबाई – लेने से मना किया।
2 भवानीशंकर– ग्राम जीरोद में नहीं रहता है वह ग्राम डोबडी, तहसील सांगोद जिला कोटा में रहता है।

13 चौथी बार प्रतिवादी कम 2 भवानीशंकर को दिनांक 15.12.2017 को सम्मन जारी करते हुए दिनांक 15.01.2018 को न्यायालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया। उक्त सम्मन को भवानीशंकर के नये पते पर भवानीशंकर पुत्र छीतरलाल, जाति लुहार पता जिरोद हाल डोबडी, तहसील सांगोद, जिला कोटा पर दिनांक 22.12.2017 को रजि0 ए.डी. द्वारा सम्मन जारी किया गया, जो वापस लौटकर नहीं आया।

14 इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपीलांट को अपना पक्ष रखने हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात बाद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

होने पर इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। अभिभाषक अपीलांट का यह कथन कि अपीलांट कम 2 व 3 के खसरा नम्बर 393 की मेड के पास रोड से 100 फीट दूर ट्यूबवेल लगा हुआ है। अपीलांट कम 1 का रोड से लगभग 60–70 फीट दूर नहर की पाईप लाईन का वाल लगा हुआ है, जो हल्का पटवारी द्वारा मानचित्र में दर्शाया नहीं गया है। इस कम में तहसीलदार अटरू द्वारा अपने पत्र कमांक–राजस्व/2022/2027 दिनांक 02.08.2022 से इस न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 892/393 की मेड के पास रास्ते को 2 मीटर चौडाई में छोडने के बाद 2 मीटर दूरी पर ट्यूबवेल लगा हुआ है एवं सड़क से 50 फीट दूरी पर नहर की पाइप लाईन का वाल्व रास्ते को छोड़कर लगा हुआ है। रास्ते में किसी भी प्रकार का व्यवधान या स्थायी रूकावट की स्थिति नहीं है एवं रास्ते की जगह में न तो ट्यूबवेल आ रहा है और न ही नहर की पाइप लाईन का वाल्व आ रहा है। कथित ट्यूबवेल की रोड से दूरी 100 फीट है, जिसकी नक्शे में तरमीम कर दी गई है। अर्थात् मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अटरू अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेंट की भूमि में आने जाने हेतु कायम किए गए रास्ते से प्रतिवादी अपीलांट का ट्यूबवेल व पाइप लाईन प्रभावित होना नहीं पाया गया। इसी प्रकार प्रतिवादी अपीलांट द्वारा यह भी सिद्ध नहीं किया गया है कि वादी रेस्पोडेंट को अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। प्रार्थी रेस्पोडेंट को अपने खाते की आराजी में पहुंचने हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो इसे दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से सिद्ध करने का भार अपीलांट पर है परन्तु अपीलांट द्वारा इस संदर्भ में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अतः अपील सारहीन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

15 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2020 यथावत रखा जाता है ।

16 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

25/12/2023

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा